1 आपराधिक प्रकरण कमांक 595/2013

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण कमांक 595 / 2013</u> संस्थापित दिनांक 27 / 08 / 2013

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद चौराहा जिला भिण्ड म०प्र०

> > अभियोजन

बनाम

राजकुमार उर्फ राजू पुत्र रायसिंह गुर्जर उम्र—26 वर्ष व्यवसाय मजदूरी निवासी—ग्राम चकमाधौपुर थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

...... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—379,भा०द०स०) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्रीमती हेमलता आर्य।) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री आर०पी०एस० गुर्जर।)

::- नि र्ण य -::

(आज दिनांक 13/01/2018 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 08.11.12 को लगभग दो बजे डाँ० हरीओम गोयल के मकान के सामने धर्मनगर गोहद चौराहा में फरियादी धर्मेन्द्र सिंह परिहार के आधिपत्य से उसकी मोटरसाइकिल कमांक एमपी 07 एमएम 2494 को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित करने हेतु भादसं की धारा 379 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 07.11.12 को फरियादी धर्मेन्द्र सिंह परिहार एवं राकेश सिंह भदौरिया साइट पर शेरपुर गए थे। वह वहां से रात्रि करीब 12 बजे लौटकर आए थे। फरियादी डाँ० हरीओम गोयल के मकान में किराए से रहता था। रात होने से वह उन्हीं के कमरे में खाना खाकर रात्रि दो बजे सोया था तथा उसने अपनी मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 कमरे के बाहर खडी कर दी थी एवं उसमें व्हील लॉक तथा हैंडल लॉक लगा दिया था। सुबह पांच बजे उसकी मोटरसाइकिल नहीं मिली थी कोई अज्ञात चोर उसे चुराकर ले गया था उसने मोटरसाइकिल की तलाश की थी परंत् मोटरसाइकिल का पता नहीं चला था तब फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने पर की गई

थी। फरियादी की रिर्पोट पर पुलिस थाना गोहद चौराहा में अप०क० 193/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था व साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे तथा आरोपी को गिरफतार किया गया था आरोपी से जप्ती की गई थी एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. द0प्र0सं0की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूंडा फंसाया गया है।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए है :--
 - 1. क्या घटना दिनांक 08.11.12 को रात्रि लगभग दो बजे डॉ0 हरीओम गोयल के मकान के सामने धर्मनगर गोहद चौराहा से फरियादी धर्मेन्द्र सिंह परिहार की मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 07 एमएम 2494 की चोरी हुई?
 - 2. क्या उक्त चोरी आरोपी और केवल आरोपी द्वारा ही कारित की गई?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी धर्मेन्द्र सिंह परिहार अ०सा01 डॉ0 हरीओम वैश्य अ०सा02 प्रधान आरक्षक बृजराज सिंह अ०सा03 आरक्षक प्रदीप केन अ०सा04 ए०एस०आई० श्रीनिवास यादव अ०सा05 एवं आरक्षक कमल माहौर अ०सा06 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक र

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी धर्मेन्द्र सिंह परिहार अ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 08.11.12 की है। उसकी मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी। हरीओम गोयल का मकान गोहद चौराहा पर है वह हरीओम गोयल के मकान पर आया था वह उनके घर पर रात्रि साढे ग्यारह बजे पहुंचा था। उसने सोने के पहले अपनी मोटरसाइकिल उनके घर के बाहर खडी कर दी थी एवं उनके घर पर ही सो गया था। मोटरसाइकिल टीवीएस स्टार सिटी कंपनी की थी जिसका नंबर एमपी 07 एमएम 2494 था। सुबह साढे पांच बजे के लगभ्ग उसने अपनी मोटरसाइकिल देखी थी तो मोटरसाइकिल वहां नहीं मिली थी। उसने अपनी मोटरसाइकिल को आसपास ढूढा था परंतु मोटरसाइकिल नहीं मिली थी फिर उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहे पर की थी जो प्र0पी01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि उसकी मोटरसाइकिल कितने बजे कौन व्यक्ति ले गया था।

- 8. डॉ० हरीओम वैश्य अ०सा०२ ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक डेढ साल पहले की है वह सुबह जगा था तो मोहल्ले में चर्चा हो रही थी कि मोटरसाइकिल की चोरी हो गई है उसे नहीं पता कि मोटरसाइकिल किसकी थी। इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने प्र०पी०३ का पुलिस कथन पुलिस को दिया था।
- 9. इस प्रकार फरियादी धर्मेन्द्र सिंह परिहार अ०सा०1 ने अपने कथन में घटना दिनांक को उसकी मोटरसाइकिल क० एमपी ०७ एमएम २४९४ को चोरी होना बताया है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी धर्मेन्द्र सिंह अ०सा०1 का कथन मोटरसाइकिल क० एमपी०७ एमएम २४९४ चोरी होने के बिंदु पर अखंडनीय रहा है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। यद्यपि डॉ० हरीओम वैश्य अ०सा०२ ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि घटना वाले दिन फरियादी धर्मेन्द्र सिंह की मोटरसाइकिल चोरी हुई थी परंतु उक्त साक्षी के कथनों से यह तो दर्शित है कि मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी। प्रकरण में प्र०पी०1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी धर्मेन्द्र सिंह द्वारा लिखाई गई है एवं प्र०पी०1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी मोटरसाइकिल क० एमपी ०७ एमएम २४९४ चोरी होने काक उल्लेख है इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी धर्मेन्द्र सिंह अ०सा०1 का कथन प्र०पी०1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रकरण में आई साक्ष्य से यह तो प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी धर्मेन्द्र सिंह की मोटरसाइकिल क० एमपी ०७ एमएम २४९४ की चोरी हुई थी।

विचारणीय प्रश्न क0 2

10. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त चोरी आरोपी और केवल आरोपी द्वारा ही कारित की गई थी? उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में ए० एस० आई० श्रीनिवास यादव अ०सा०5 जो कि जप्तीकर्ता हैं, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 08.06.13 को आरोपी राजू को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की थी एवं पूछताछ के दौरान आरोपी राजू ने मोटरसाइकिल अपने घर पर होना बताया था। उसने आरोपी से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य विधान का मेमोरण्डम तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी06 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी राजू से मोटरसाइकिल एमपी 07 एमएम 2494 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी05 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी राजू से मोटरसाइकिल एमपी 07 एमएम 2494 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी05 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने साक्षी कमल एवं प्रदीन केन के कथन उनके बताए अनसार लेखबद्ध किए थे। उसने आरोपी के विक्तद्ध प्र0पी07 का इस्तगासा तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी राजू उर्फ राजकुमार किसी अन्य अपराध में थाने में बंद था एवं इसके तुरंत पश्चात उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि आरोपी बंद नहीं था उसे तलाशने घर गए थे तब वह मिला था तब उक्त मोटरसाइकिल घर पर पाई गई थी। साक्षी प्रदीप केन अ0सा04 एवं कमल माहौर अ0सा06 ने भी ए० एस० आई० श्रीनिवास यादव अ0सा05 के कथन का

समर्थन किया है तथा घटना दिनांक को श्रीनिवास यादव के साथ ग्राम जिमलेदार का पुरा जाने तथा आरोपी राजू से मोटरसाइकिल जप्त किए जाने बाबत प्रकटीकरण किया है। आरक्षक प्रदीप केन अ०सा०४ ने मेमोरेण्डम प्र०पी०४, जप्ती पंचनामा प्र०पी०५ एवं गिरफतारी पंचनामा प्र०पी०६ के कमशः ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना एवं आरक्षक कमल माहौर अ०सा०६ ने मेमोरेण्डम प्र०पी०४, गिरफतारी पंचनामा प्र०पी०६ एवं जप्ती पंचनामा प्र०पी०६ के कमशः सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

- 11. प्रधान आरक्षक बृजराज सिंह अ०सा०३ ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने विवेचना के दौरान सूचना मिलने पर थाना मालनपुर के इस्तगासा क० ३/13 धारा 102 दप्रसं एवं धारा 379 भादसं के प्रपत्र प्राप्त किए थे।
- 12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया हैकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 13. प्रस्तुत प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी धर्मेन्द्र सिंह अ०सा०1 द्वारा प्र०पी०1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात आरोपी के विरूद्ध लेखबद्ध कराई गई है एवं जहां चोरी की रिपोर्ट अज्ञात में की जाती है वहां जप्ती एवं गिरफतारी के साक्षियों की साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण होती है अब देखना यह है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में जप्ती एवं गिरफतारी के साक्षियों के कथन इतने विश्वसनीय हैं जिसके आधार पर आरोपीगण को दोषारोपित किया जा सकता है।
- 14. प्रस्तुत प्रकरण में ए० एस० आई० श्रीनिवास यादव अ०सा०५ जिसके द्वारा अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी राजू से मोटरसाइकिल जप्त की गई है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि उसने दिनांक 08.06.13 को आरोपी राजू से चोरी के संबंध में पूछताछ कर प्र0पी04 का धारा 27 साक्ष्य विधान का ज्ञापन तैयार किया था एवं पूछताछ के दौरान आरोपी ने मोटरसाइकिल अपने घर पर होना बताया था उसने आरोपी के बताए अनुसार आरोपी के घर से मोटरसाइकिल क० एमपी 07 एमएम 2494 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी05 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी राजू किसी अन्य अपराध में थाने में बंद था पंरतु इसके तुरंत पश्चात ही उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपी बंद नहीं था उसे तलाशने घर गए थे तब वह मिला था इस प्रकार ए०एस०आई० श्रीनिवास यादव अ०सा05 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट किया गया है कि आरोपी बंद नहीं था बिल्क घर पर मिला था तभी उसके घर पर मोटरसाइकिल पाई गई थी।
- 15. आरक्षक प्रदीप केन अ०सा०४ एवं आरक्षक कमल माहौर अ०सा०६ ने भी जप्तीकर्ता ए 0 एस० आई० श्रीनिवास यादव अ०सा०५ के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को आरोपी राजू से मोटरसाइकिल क० एमपी 07 एमएम 2494 जप्त किए जाने बावत प्रकटीकरण किया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण का बचावपक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोडकर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।

बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी राजू पूर्व से ही अन्य प्रकरण में थाना मालनपुर में बंद था एवं आरोपी को उक्त अपराध में असत्य रूप से संलिप्त किया गया है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार फरियादी धर्मेन्द्र सिंह द्वारा मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दिनांक 08. 11.12 को थाना गोहद चौराहे के अप0 क0 193/12 पर दर्ज कराई गई थी तत्पश्चात प्र0पी07 के इस्तगासे एवं प्र0पी06 के गिरफतारी पत्रक प्र0पी05 के जप्ती पत्रक के अनुसार आरोपी राजू से संदेह के आधार पर दप्रंसं की धारा 102 एवं भादसं की धारा 379 के अंतर्गत दिनांक 08.06.13 को आरोपी राजू के घर से टीवीएस मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 की जप्ती की गई थी एवं आरोपी राजू के विरुद्ध थाना मालनपुर में इस्तगासा क0 3/13 प्र0पी07 तैयार किया गया था चूंकि उक्त मोटरसाइकिल से संबंधित मूल अपराध थाना गोहद चौराहे के अपराध क0 193/12 पर दर्ज था। अतः प्र0पी07 के इस्तगासे एवं संबंधित पत्रक को थाना गोहद चौराहे के हस्तगत अपराध क0 193/12 में विवेचना के दौरान शामिल कर लिया गया था। प्रधान आरक्षक बृजराज सिंह अ०सा०३ द्वारा भी उक्त तथ्य की पुष्टि की गई है एवं व्यक्त किया गया है कि दिनांक 17.06.13 को यह सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 थाना मालनपुर में जप्त हुई है उक्त सूचना पर से उसने थाना मालनपुर से इस्तगासा क0 3 / 13 को मय प्रपत्रों सहित हस्तगत अपराध क0 193 / 12 की केस डायरी में विवेचना के दौरान शामिल कर लिया था। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है यद्यपि तर्क के दौरान आरोपी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्र0पी07 के इस्तगासे की प्राप्ति के दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं है पंरतु उक्त त्रुटि प्रक्रियात्मक त्रुटि है उक्त त्रुटि से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि हस्तगत प्रकरण अपराध क0 193/12 से व्युत्पन्न है एवं अपराध क0 193/12 में मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 को जप्त नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त अपराध प्रमाणित नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि हस्तगत प्रकरण अपराध क0 193/12 से व्युत्पन्न है एवं अपराध क0 193/12 में मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 को जप्त नहीं किया गया है परंतू इस्तगासा क0 3/13 प्र0पी07 में जप्ती पंचनामा प्र0पी05 के अनुसार मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 को आरोपी राजू से जप्त किया गया था तथा इस्तगासा क 3/13 प्र0पी07 एवंउसके साथ संलग्न पत्रक गिरफतारी पंचनामा प्र0पी06 जप्तीपंचनामा प्र0पी05 एवं मोमोरेण्डम प्र0पी04 को विवेचना के दौरान अपराध क0 193/12 में शामिल कर लिया गया था। यद्यपि औपचारिक रूप से मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 को अपराध क0 193/12 में जप्त करना चाहिए था परंतु मात्र उक्त औपचारिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। प्र0पी07 का इस्तगासा एवं प्र0पी06 का गिरफतारी पंचनामा एवं प्र0पी05 का जप्ती पंचनामा अभिलेख में संलग्न है एंव प्र0पी05 के जप्ती पंचनामे के अनुसार आरोपी से मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 जप्त हुई थी। ए० एस० आई० श्रीनिवास यादव अ०सा०५ एवं आरक्षक प्रदीप केन अ0सा04 एवं कमल माहौर अ0सा06 ने भी आरोपी से जप्ती पंचनामा प्र0पी05 के अनुसार मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 जप्त होना बताया है उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है एवं परीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षियों के कथन आरोपी राजू से मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 जप्त होने के बिंदु पर अखंडनीय रहे हैं आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अभियेजन की अखंडित रही साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है।

- बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में 18. किसी स्वतंत्र साक्षी को जप्ती की कार्यवाही का गवाह नहीं बनाया गया है आरोपी के विरूद्ध मात्र पुलिस कर्मचारियों के कथन शेष है ऐसी स्थिति में जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। मात्र पुलिस कर्मचारी होने के कारण साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत करमजीत सिंह विरूद्ध स्टेट (2003)5 एस0 सी0 सी0 291 में यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस कर्मचारीगण के साक्ष्य को भी सामान्य साक्षी के साक्ष्य की तरह लेना चाहिए और यह उपधारणा कि व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है पुलिस के मामले में भी लागू होता है। विधि में ऐसा काई नियम नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी की पुष्टि के बिना पुलिस कर्मचारीगण की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। न्यायदृष्टांत मनोज कुमार शुक्ला विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2004(4) एम०पी०एल०जे० 179 में यह प्रतिपादित किया गया है कि विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य की पुष्टि के बिना उसके आधार पर दोषसिद्धी अभिलिखित नहीं की जा सकती है। इस प्रकार उपरोक्त न्यायदृष्टांतों से भी इसी मत को बल प्राप्त होता है कि मात्र पुलिस कर्मचारी होने के कारण साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में ए० एस० आई० श्रीनिवास यादव अ०सा०५ आरक्षक प्रदीप केन अ०सा०४ आरक्षक कमल माहौर अ०स०६ के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दाौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।
- 19. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में शिनाख्ती कार्यवाही नहीं कराई गई है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है यद्यपि प्रकरण में शिनाख्ती कार्यवाही नहीं कराई गई है परंतु फरियादी धर्मेन्द्र सिंह परिहार अक्सा01 ने अपने कथन में मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 चोरी होना बताया है एवं आरोपी राजू से मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 की जप्ती हुई है एवं शिनाख्ती कार्यवाही तब आवश्यक होती है जबिक चुराई हुई संपत्ति की पहचान आवश्यक हो। प्रस्तुत प्रकरण में मोटरसाइकिल की चोरी हुई है एवं मोटरसाइकिल की पहचान वाहन कमांक से की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में जिस नंबर की मोटरसाइकिल फरियादी ने चोरी होना बताया है उसी नंबर की मोटरसाइकिल की राई है। उक्त मोटरसाइकिल की पहचान के संबंध में कोई संदेह नहीं है। ऐसी स्थिति में मात्र शिनाख्ती कार्यवाही न होने से प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।
- 20. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी धर्मेन्द्र सिंह परिहार अ0सा01 ने अपने कथन में उसकी मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 चोरी होना बताया है। ए० एस० आई० श्रीनिवास यादव अ0सा05 एवं आरक्षक प्रदीप केन अ0सा04 तथा आरक्षक कमल माहौर अ0सा06 ने आरोपी से दिनांक 08. 06.13 को आरोपी राजू से मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 जप्त होना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान आरोपी राजू से मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494

जप्त होने के बिंदु पर अखंडनीय रहे हैं। प्र0पी05 के जप्ती पंचनामे में भी आरोपी से मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 जप्त होने का उल्लेख है इस प्रकार उक्त बिंदु पर साक्षी श्रीनिवास यादव अ०सा०५ आरक्षक प्रदीप केन अ०सा०४ एवं आरक्षक कमल माहौर असा०६ के कथन प्र०पी०५ के जप्ती पंचनामें से भी पृष्ट रहे हैं। प्रकरण में आरोपी से मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 जप्त होना प्रमाणित है। आरोपी द्वारा उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। आरोपी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि फरियादी की मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 आरोपी के पास किस प्रकार आई। आरोपी द्वारा उक्त संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के खण्ड एक की उपधारणा आरोपी के संबंध में लागू होती है। उक्त उपधारणा के अनुसार "चुराये हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा हैं जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है।

- प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी से मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 जप्त होना प्रमाणित है। आरोपी द्वारा मोटरसाइकिल उसके कब्जे में होने का कोई कारण नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के खण्ड एक की उपधारणा आरोपी के विरुद्ध लागू होती है एवं यही उपधारणा की जाती है कि आरोपी ने मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 फरियादी धर्मेन्द्र सिंह परिहार के आधिपत्य से घटना दिनांक को चोरी की थी।
- फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 08.11.12 को रात्रि के लगभग दो बजे डॉ0 हरीओम गोयल के मकान के सामने धर्मनगर गोहद चौराहा में फरियादी धर्मेन्द्र सिंह परिहार के आधिपत्य से उसकी मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी राजू उर्फ राजकुमार सिंह को भा0द0सं0 की धारा 379 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।
- सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया 23. Ellator Parella गया।

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

पुनश्च:-

आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपी को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जावे।

25. आरोपी अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है आरोपी द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपी द्वारा मोटरसाइकिल की चोरी की गई है ऐसी स्थिति में आरोपी को शिक्षाप्रद दण्ड से दिण्डित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी राजू उर्फ राजकुमार सिंह को भा0द0सं0 की धारा 379 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिकृम होने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित करती है।

26. आरोपी पूर्व से जमानत पर है। उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

- 27. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल क0 एमपी 07 एमएम 2494 पूर्व से उसके स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अविध पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।
- 28. आरोपी जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहा है उसके संबंध में दप्रसं की धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उसकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी इस प्रकरण में दिनांक 10.06.13 से दिनांक 25.06.13 तक न्यायिक निरोध में रहा है।

तदानुसार सजा वारण्ट बनाया जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 13–01–2018 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)